बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

पत्रांक एस० डी० ..... पटना, दिनांक .....

मांस, मछली एवं अण्डों के मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रस्तावित आदेश [illegible], दिनांक 26 सितम्बर, 2013 से निर्गत [illegible] खाद्य पदार्थों से अनुज्ञप्त संबंधी आदेश, स्थानीय सीमा और संचलन निर्बंधन) [illegible] आदेश, 2009 के द्वारा विनियमित खाद्य पदार्थों से अनुज्ञप्त संबंधी आदेश, स्थानीय सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाया गया है। [illegible] विक्रय, प्रदाय, वितरण या वितरण के लिए [illegible] के बजाय प्रयुक्त [illegible] के द्वारा संचालित हाल एवं दुकान के लिए 31 मार्च 2010 तक की अवधि के लिए [illegible] गया है। उक्त आदेश के साथ पठित अनुसूची, परन्तु अधिनियम 1955 (1955 के अधिनियम [illegible]) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या [illegible] के द्वारा [illegible] विभाग के द्वारा एकत्रित बिहार आयोग [illegible] एकीकरण) आदेश [illegible] के अन्तर्गत आयोग [illegible] के लिए संचालन सीमा के लिए निर्गत [illegible] पत्रांक [illegible] 42, दिनांक 12 अगस्त, [illegible] में निम्न [illegible] करते हैं, अर्थात्

I. मांस के क्रय एवं [illegible] का कोई भी व्यापारी [illegible] जिला सीमा के समस्त स्थान में मांस एवं मछली का खोले [illegible] 25 [illegible] [illegible] के लिए [illegible] व्यवसाय और केवलों की [illegible] से अधिक [illegible] एवं [illegible] नहीं होगा।

(क) [illegible] क्षेत्र — [illegible] [illegible] [illegible]।

(ख) [illegible] क्षेत्र — 500 [illegible]।

परन्तु इस आदेश की कोई बात निम्नलिखित [illegible] या [illegible] के लोक में लागू नहीं होगी :

(i) [illegible]

(ii) [illegible] द्वारा [illegible] किसी [illegible] [illegible] व्यापारी द्वारा [illegible] मूल्य की दुकानों [illegible] के लिए [illegible]।

(iii) [illegible] खाद्य विभाग / [illegible] द्वारा [illegible]।

2. मांस एवं मछली के व्यापार की अनुज्ञप्ति के संबंध में बिहार [illegible] अनुज्ञप्ति एवं विनियमन) अधिनियम 1955 के [illegible] लागू नहीं [illegible] प्रदेश में [illegible] के लिए निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क, नवीकरण शुल्क [illegible] व्यापारियों को अनुज्ञप्ति के लिए लागू [illegible] अनुज्ञप्ति [illegible] निर्धारित होगा।

3. आदेश निर्धारित [illegible] के अतिक्रमण किसी भी परिस्थिति में [illegible] पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

4. मांस एवं मछली के व्यापारियों को [illegible] [illegible] जिला [illegible] के अनुमति [illegible]।

5. उपर्युक्त आदेश 100 [illegible] नीचे [illegible] मांस [illegible] एवं [illegible] व्यापारी पर लागू नहीं माना जाएगा।

6. [illegible] पूर्व अधिसूचनाएँ / आदेश [illegible] यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

ह०/- [illegible]
बिहार राज्यपाल के आदेश से
[illegible]
[illegible] विभाग
[illegible]